

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 2553 (Part 3)

02 12 2024

विषय: IS 2553 (Part 3) : 2019 (सुरक्षा उपयोगी काँच — विशिष्टि भाग में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 2553 (Part 3): 2019 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है IS 2553 (Part 3): 2019 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 2553 (Part 3): 2019 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और 18 अप्रैल 2025 तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(अमित चौधरी) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 2553 (Part 3)

02 12 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 2553 (Part 3):2019 (Safety Glass — Specification Part 3 Solar Application)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 2553 (Part 3): 2019 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 2553 (Part 3): 2019 is **18 April 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **18 April 2025**

(Amit Chaudhary) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices